कार्यालय :: जिला न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश सं0: 153 /2020, दिनॉकः 09 जुलाई, 2020

आदेश

कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन, एटा द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0–2810/सी.बी.ए., दिनॉकित 08.07.2020 प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार श्री नरेन्द्र पुत्र गणपति सिंह, निवासी जाटवपुरा कचहरी के गेट सं0–03 पर स्टाम्प विक्रेता का कार्य करते थे, जिनकी दिनॉक 07.07.2020 को सैफई, इटावा में मृत्यु हो चुकी है, जो कोविड–19 से संक्रमित थे। इस संबंध में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की रिपोर्ट पत्रांक सं0–487/एएमएस/यूपीयूएमएस/ 2020–21, दिनॉकित 07.07.2020 की छायाप्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार भी श्री नरेन्द्र कुमार मृत्यु के समय कोविड–19 से संक्रमित थे। उपरोक्त के संबंध में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0), एटा द्वारा प्रेषित पत्र सं0–256/न्याय सहायक, दिनॉकित 09.07.2020 के अनुसार क्रमः सं0–13 मौ0 जाटवपुरा व कचहरी गेट नं0–03, थाना कोतवाली नगर, तहसील व जिला एटा हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/dated 03 June, 2020 में दिये गये निर्देशों के प्रस्तर सं0–14 व 15 में निर्देशित किया गया है कि:–

14- Wherever any Court campus is covered under the containment zone, such Court shall remain closed as per the resolutions of this Court dated 02.05.2020 read with the resolution of this Court dated 25.03.2020, till such time the concerned District Court or Outlying Court continues to remain in containment Zone. Thereafter the present scheme shall apply. Necessary reports in this regard, be obtained by the District Judges from the District Administration on regular basis.

15- "Where the District Administration/CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court campus should be closed for a particular period and or the District Judge is of the opinion that the District Courts/Outlying Court should be closed for particular period, then the District

Court/Outlying Court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court."

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र सं0–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/dated 03 June, 2020 में दिये गये निर्देशों के प्रस्तर सं0–14 व 15 के अनुपालन में जनपद न्यायालय के मुख्यालय स्थित सभी न्यायालयों को दिनॉक 10.07.2020 (एक कार्य दिवस) के लिये बंद किया जाता है तथा दिनॉक 11.07.2020 व 12.07.2020 का द्वितीय शनिवार व रविवार है।

दिनॉक 10.07.2020 को नियत वादों में दिनॉक 21.08.2020 आगामी सामान्य तिथि नियत की जाती है तथा उक्त तिथि को नियत जमानत प्रार्थना–पत्रों में दिनॉक 22.07.2020 नियत की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व उ0प्र0 शासन के निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत, एटा जिलाधिकारी, एटा एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, एटा से संपर्क करके संपूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय के प्रत्येक कक्ष व सभी कार्यालयों एवं समस्त अधिवक्तागण के चैम्बरों को सैनेटाइज व साफ–सफाई कराना सुनिश्चित करें।

जो न्यायिक अधिकारीगण न्यायालय परिसर में प्रशिक्षण (ई–ट्रेनिंग) प्राप्त कर रहे हैं, वे उक्त कार्य दिवस में अपने आवास से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य दिवस में रिमाण्ड कार्य, अवकाश कार्य दिवसों की भॉति संपादित कराने हेतु व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति अध्यक्ष/सचिव, कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन, एटा को प्रेषित की जाये कि वे तद्नुसार समस्त विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में न आने के लिये अवगत करायें, जिससे कि समस्त अधिवक्तागण के चैम्बरों को भी सैनेटाइज किया जा सके।

सभी संबंधित आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित हों एवं इस

आदेश की प्रति जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वे इस सूचना को लोकहित में समाचार—पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायें। इस आदेश की एक प्रति न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर एवं न्यायालय परिसर के गेटों पर भी चस्पा की जाये।

आदेश की सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को तदनुसार प्रेषित की जाये।

तदनुसार सूचित हों।

9.7.2020

(रेणु अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश, एटा।
09.07.2020